न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या– 50/2021
दायरा दिनांक– 21.06.2021
निर्णय दिनांक– 16.08.2021

उनवान

नोरती देवी पत्नि स्व0 श्री लीलाराम उम्र 63 साल जाति गुर्जर निवासी सूदां की ढ़ाणी तन बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0

..... **वादिया**

बनाम

. मानसिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल साल जाति धाणका निवासी बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0

.... **असल प्रतिवादी**

. बजरंग लाल पुत्र स्व0 श्री लीलाराम जाति गुर्जर
. धनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री लीलाराम जाति गुर्जर निवासियान सूदां की ढ़ाणी तन बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
. श्रीमान तहसीलदार साहब बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0
. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.

.... **तरतीबी प्रतिवादी**

दावा घोषणात्मक एवं हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधि

उपस्थित अधिवक्तागण–

. वादिया की ओर से– श्री जगमाल खोवाल एडवोकेट
. प्रतिवादीगण– एक पक्षीये कार्यवाही

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

निर्णय

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु मेरे समक्ष पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.70 हैक्टेयर वाके मौजा बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी है। हाल आराजी को दौराने कार्यवाही बन्दोबस्त सम्वत् 2060 में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 884मिन रकबा 11 बीघा वाके मौजा बुटेरी में से बनाया गया है। दौराने कार्यवाही बन्दोबस्त सम्वत् 2021 के राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गत साबिक खसरा नम्बर 222 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 223मिन रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 34 बीघा वाके ग्राम बुटेरी से खसरा नम्बर 884 रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा बनाया गया है जिसकी ताइद मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2060 व 2021 मौजा बुटेरी से होती है। राजस्थान सरकार द्वारा असल प्रतिवादी संख्या 01 को जर्ये नामान्तकरण संख्या 222 से खसरा नम्बर 884 रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा में से गैरखातेदारी खसरा नम्बर 884 मिन रकबा 11 बीघा दिनांक 27.02.1977 को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा बिना कब्जा मौके पर दिये स्वीकार किया गया। असल प्रतिवादी के नाम दर्ज गैरखातेदारी से खातेदारी नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 23.05.2002 को शिविर प्रभारी पंचायत समिति बानसूर के द्वारा स्वीकार किया गया उक्त दोनों नामान्तकरण व उसके पश्चात दर्ज खातेदारी जमाबन्दीयात असल प्रतिवादी विरूद्ध वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बातिल, बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावे क्योंकि विवादित आराजी के मौके पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व ही हाल व गत साबिक आराजी पर मिन वादिया के पति व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पिता अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करते थे तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मिन वादिया विवादित हाल आराजी के सम्पूर्ण भाग पर आज दिन तक बदस्तूर काबिज होकर दोनो फसलो की काश्त सारे संसार की जानकारी में करती चली आ रही है। मिन वादिया द्वारा विवादित आराजी पर अभी सरसों की फसल काश्त की है और अब अपने पशुओं के लिये हरा चारा डाल रखा है। हाल विवादित आराजी एवं साबिक आराजी पर असल प्रतिवादी मानसिंह ने गैर खातेदारी, खातेदारी नामान्तकरण दर्ज करवाने के पश्चात मौके पर कभी भी काबिज होकर कब्जा काश्त नही की बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व से ही मिन वादिया

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

का पति व उसकी मृत्यु के पश्चात मिन वादिया काबिज होकर असल प्रतिवादी एवं सारे संसार की जानकारी में बिना किसी बाधा एवं रूकावट के अबाध रूप सें शान्ति पूर्वक निरन्तर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है अर्थात वादिया प्रतिकुल कब्जा (कब्जा मुखालफाना) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुकि है ऐसी सूरत में मिन वादिया को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। मिन वादिया का पति अनपढ़ व्यक्ति था जो राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, प्रतिवादी मानसिंह विवादित आराजी के मौके पर काबिज होकर कभी भी किसी भी वर्ष फसल काश्त नहीं की बल्कि पहले मिन वादिया के पति अपने जीवनकाल में निर्बाध रूप से काबिज काश्त थे व उनकी मृत्यु के पश्चात मिन वादिया निर्बाध रूप से मौके पर काबिज होकर सारे संसार की जानकारी में काश्त करती चली आ रही है। मिन वादिया भी एक अनपढ़ बुजुर्ग विधवा महिला है जो अपने पति के पदचिन्हों पर अबाध रूप से विवादित आराजी पर आज दिन भी मौके पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है इस प्रकार मिन वादिया को प्रतिकूल कब्जा काश्त के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, घोषणा फरमाई जावे व बाद घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया जावे। साबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज हाल विवादित आराजी के खातेदार असल प्रतिवादी मानसिंह का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निरन्तर बिना किसी बाधा एवं रूकावट के असल प्रतिवादी की इच्छा के विरूद्ध सारे संसार की जानकारी में पहले वादिया के मृतक पति का व उसकी मृत्यु के पश्चात मिन वादिया का मौके पर कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक अबाध रूप से चला आ रहा है। मिन वादिया को कब्जा काश्त अर्थात प्रतिकुल कब्जा (Advers possession) के आधार पर विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है वादिया को प्रतिकूल कब्जें के आधार पर हाल आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा असल प्रतिवादी के नाम दर्ज मौजूदा इन्द्राजात कागजात माल वादिया के खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध बातिल, बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावें। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में असल प्रतिवादी के नाम अंकित होने के कारण अब दिनांक 04/04/2021 को वादिया को धमकी दी गई कि आपनें हमारी खातेदारी आराजी की भूमी पर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

नाजायज कब्जा करके काश्त कर रहें है यह आराजी राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है जिस पर मैंने भूमि विकास बैंक शाखा बहरोड़ से लोन भी प्राप्त कर रखा है। यदि आपनें शान्ति पूर्वक तरीके सें भूमी को खाली करके कब्जा मुझे नही सोंपा तो मैं पुलिस बल व लठ–बल के आधार पर जबरन कब्जा खाली करवाउँगा और असल प्रतिवादी ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बयनामा करवा दूंगा। खरीददार लोग जबरन आपसे कब्जा खाली करवा लेंगे इस प्रकार असल प्रतिवादी के द्वारा दी गई धमकी सें मिन वादिया विचलित हो गई यदि असल प्रतिवादी अपनें इन अवैध मनसूबो में कामयाब होकर मुझ वादिया को मौके सें बेदखल कर दिया या राजस्व रिकार्ड का बेचान भू–माफियाओं को कर दिया और वादिया को जबरन ताकत व लठ–बल के आधार पर बेदखल करके दीगर अजनबी व्यक्ति काबिज हो गये तो मिन वादिया को अनावश्यक आर्थिक व मानसिक नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप सें किया जाना सम्भव नहीं होगा। मिन वादिया को दिनांक 04/04/2021 को प्रतिवादी असल द्वारा धमकी मिली है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम है और मैं इस आराजी को दीगर लोगों को बेचान करके वादिया को विवादित आराजी के मौके से बेदखल कर दीगर अजनबी लोगों का कब्जा करवाके रहूँगा। प्रतिवादी अपने मनसूबों में कामयाब हो गया तो मिन वादिया को विभिन्न प्रकार के मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा तथा मानसिक व आर्थिक पीड़ा उठानी पड़ेगी इसलिये प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे एवं मिन वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। दावा हाजा के लिए विनाय दावी एवं विनाय मुखास्मत दिनांक 04/04/2021 को असल प्रतिवादी के द्वारा मिन वादिया को मौके सें बेदखल करके कब्जा करने एवं भू–माफियां को राजस्व रिकार्ड का बेचान करके ताकत, धन, एवं लठ्ठ बल के आधार पर कब्जा करा देनें की धमकी दी जाने सें वाद कारण उत्पन्न हुआ है सो दावा अन्दर मियाद पेश है। तरतीबी प्रतिवादी सं0 04 विवादित आराजी का मालिक तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर बानसूर होने के कारण दावा हाजा में रफाय उज्रर फरीकेन पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। तरतीबी प्रतिवादी सं0 05 के यहां बिना कब्जा विवादित आराजी को बैंक रहन किये जाने के कारण दावा हाजा में रफाय उज्रर फरीकेन पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वाद दर्ज पंजीका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को वाद में उपस्थिती बाबत साधारण व प्रतिवादी संख्या 05 को जर्ये पंजीकृत डाक से जर्ये सम्मन पर्याप्त तामील होने के बावजूद स्वयं या उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्ध दावा हाजा में एकपक्षीये कार्यवाही दिनांक 05.07. 2021 व 28.07.2021 को अमल में लाई गई है।

विचारण वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीये कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई लेकिन विचारण वाद में चाहे गये अनुतोष हेतु विनिश्चय बिन्दू कायम किया जा रहा है- आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.70 हैक्टेयर वाके मौजा बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर को वादिया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में अपनी मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू.-01 स्वयं नोरती देवी, पी.डब्ल्यू-02 हरिसिंह, पी.डब्ल्यू- 03 भौरेलाल के शपथ-पत्र बतौर गवाह पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-01 नकल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 349, प्रदर्श-02 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत्2059 आंशिक मौजा बुटेरी, प्रदर्श-03 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2059 खाता संख्या 259 मौजा बुटेरी, प्रदर्श-04 नकल जमाबन्दी सम्वत्2036 खाता संख्या 310 मौजा बुटेरी, प्रदर्श-05 नकल इन्तकाल संख्या 222 मौजा बुटेरी, प्रदर्श-06 नकल जमाबन्दी सम्वत्2057 खाता संख्या 431 मौजा बुटेरी, प्रदर्श-07 नकल इन्तकाल संख्या 1065 मौजा बुटेरी, प्रदर्श-08 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत्2021 आंशिक मौजा बुटेरी, प्रदर्श-09 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत्2021, प्रदर्श-10 नकल जमाबन्दी सम्वत्2013 खाता संख्या 301 मौजा बुटेरी अंकित कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की एक पक्षीये मौखिक बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं मौखिक बहस पर मनन किया। विचारण वाद में चाहे गये अनुतोष हेतु विनिश्चय

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

बिन्दू कायम किया गया है– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.70 हैक्टेयर वाके मौजा बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर को वादिया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। विनिश्चय बिन्दू बाबत पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया विवादित आराजी की बाबत प्रस्तुत साबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2013 प्रदर्श–10 के अनुसार वादिया के दादाससुर का मौके पर काबिज होकर काश्त करना प्रमाणित है उन्हीं के पदचिन्हों पर वादिया का पति व उसकी मृत्यु के पश्चात स्वयं वादिया का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादिया के कब्जाशुदा स्थान पर बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रतिवादी संख्या 01 को भूमि आवंटन करके राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल संख्या 222 से गैर खातेदारी व इन्तकाल संख्या 1065 से खातेदारी मौजा बुटेरी दर्ज की गई है वह बिना मौके पर दखल दिये प्रदान की गई है जो वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बातिल, बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी है। वादिया विवादित आराजी के मौके पर सारे संसार की जानकारी व प्रतिवादी संख्या 01 की इच्छाओं के विरूद्ध मौके पर काबिज होकर काश्त करती रही है न्यायिक दृष्टान्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील बउनवान पूनाराम बनाम मोतीराम में पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त अनुसार वादिया को विवादित आराजी में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1264 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.06 हैक्टेयर मौजा बुटेरी के साथ बिना कब्जा विवादित आराजी को भी प्रतिवादी संख्या 05 के यहां बैंक रहन कर भार सृजित कर रखा है। बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुये विवादित आराजी को बैंक रहन से मुक्त करते हुये वादिया का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः हाल आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.70 हैक्टेयर वाके मौजा बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी में दर्ज खातेदार असल प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 के नाम का इन्द्राज कलमजन किया जाकर जमाबन्दी में अमल किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा ना करें, हमेशा के लिये पाबन्द रहे। निर्णय की अनुपालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या– 50 / 2021
दायरा दिनांक– 21.06.2021
निर्णय दिनांक– 16.08.2021

उनवान

नोरती देवी पत्नि स्व0 श्री लीलाराम उम्र 63 साल जाति गुर्जर निवासी सूदां की ढ़ाणी तन बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0

..... **वादिया**

बनाम

मानसिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल साल जाति धाणका निवासी बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0

.... **असल प्रतिवादी**

बजरंग लाल पुत्र स्व0 श्री लीलाराम जाति गुर्जर
धनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री लीलाराम जाति गुर्जर निवासियान सूदां की ढ़ाणी तन बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
श्रीमान तहसीलदार साहब बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर, राज0
शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.

.... **तरतीबी प्रतिवादी**

दावा घोषणात्मक एवं हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधि

उपस्थित अधिवक्तागण–

वादिया की ओर से– श्री जगमाल खोवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण– एक पक्षीये कार्यवाही

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

पर्चा डिक्री

अतः हाल आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.70 हैक्टेयर वाके मौजा बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी में दर्ज खातेदार असल प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 के नाम का इन्द्राज कलमजन किया जाकर जमाबन्दी में अमल किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा ना करें, हमेशा के लिये पाबन्द रहे।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.
बानसूर (अलवर)